न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र 14(4) : 09/2022
दायर दिनांकः 10.11.2022
निर्णय दिनांक 24.03.2026

—: अनवान :—

बाबुलाल गुर्जर पिता वरदा जी जाति गुर्जर आयु 54 वर्ष निवासी रूपावली (सालोर) पटवार हल्का मोगाना तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

— प्रार्थी

बनाम

1. खेमराज पिता मगना जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रूपावली (सालोर) तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. श्रीमती कमला पत्नि खेमराज जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रूपावली (सालोर) तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3. तहसीलदार महोदय नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
4. उप जिलाधीश/उपखण्ड अधिकारी महोदय नाथद्वारा जिला राजसमन्द

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 विरूद्ध मिसल नम्बर 108/2008 दिनांक 02.02.2008 द्वारा उप जिलाधीश नाथद्वारा

उपस्थित :—

1. श्री भोपाल सिंह राव, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री रामलाल जाट, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 02 अनुपस्थित
3. श्री अनील बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 03 व 04

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रूपावली पटवार हल्का मोगाना तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द की सीमा में मूल आराजी संख्या 721 रकबा 18 बीघा 09 बिस्वा

भूमि स्थित है। यह भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त गैर मुमकीन मगरी भूमि है। उक्त आराजीयात की दो बीघा भूमि जो प्रार्थी के आधिपत्य की है उसे उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा द्वारा विपक्षी संख्या एक खेमराज एवं विपक्षी संख्या दो श्रीमती कमला को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई। उक्त भूमि पर प्रार्थी का पुश्तैनी आवास बना हुआ है जिस पर वर्तमान में प्रार्थी निवास कर रहा है। उक्त आवंटन मौके पर प्रार्थी का आधिपत्य होने एवं प्रार्थी का आवास होने के बावजूद विपक्षी संख्या एक व दो के पक्ष में हो गया है। आक्षेपित आवंटन विधि एवं तथ्यो के प्रतिकूल हुआ है। इस भूमि पर मौक की स्थिति ऐसी है कि इस भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की ही नहीं जा सकती है। विपक्षी संख्या एक व दो खेमराज व कमला को आराजी संख्या 721 में से 2.00 बीघा भूमि आवंटित की गई। जिसे राजस्व रिकार्ड के मूल नम्बर से पृथक करते हुऐ आराजी नम्बर 874/721 रकबा 2.00 बीघा के रूप में अंकित किया गया है। मूल आराजी नम्बर 721 के आवंटित किये गये भाग पर प्रार्थी का आवास आवंटन से पूर्व से बना हुआ होकर प्रार्थी उसमें वर्षों से निवासरत होकर वर्तमान में भी अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है। उक्त आवास कई वर्षों पुराना होकर भूमि आवंटन से पूर्व का है एवं उक्त भूमि की किस्म मगरी होकर काश्त के उपयोग लायक भूमि नहीं है। उक्त परिसर प्रार्थी बाबुलाल के आधिपत्य में होकर इसके चारो और चारदीवारी बनी हुई है। मौके की स्थिति के अनुसार उक्त भूमि पर प्रार्थी अर्थात किसी अन्य का आवास होकर कब्जा किसी अन्य का होने से किसी प्रकार से आवंटन योग्य नहीं थी। इस भूमि पर आवंटन के पश्चात् आवंटी का कभी कब्जा नहीं रहा है न ही विपक्षी संख्या एक व दो ने आवंटन शर्तों की पालना में इस भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त किया है। उक्त भूमि पर आवंटन पूर्व से ही प्रार्थी का कब्जा होकर मौके पर वर्तमान में भी वहीं पर निवासरत है। आवंटन आदेश की शर्त संख्या 4 के अनुसार आवंटन की शर्तों के अनुसार भूमि काश्त नहीं करने तथा उसका उपयुक्त उपयोग नहीं करने पर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में पुनः दर्ज हो जायेगी। लेकिन आवंटी ने इस आवंटित भूमि पर कभी कोई काश्त नहीं की क्योंकि उक्त भूमि कभी भी आवंटी विपक्षी संख्या एक व दो के आधिपत्य में रही ही नहीं। उक्त भूमि पर आवंटन से पूर्व से वर्तमान तक लगातार प्रार्थी का आधिपत्य होकर उक्त भूमि पर प्रार्थी का आवास बना होकर प्रार्थी वर्तमान में भी यहाँ निवासरत है। खसरा गिरदावरी से यह तथ्य साबित है कि उक्त आवंटित आराजी संख्या 874/721 पर कभी भी कोई काश्त नहीं की गई है। उक्त भूमि पथरिली मगरी होकर काश्त लायक नहीं है। जिस पर प्रार्थी का आवासीय परिसर होकर प्रार्थी उसमें निवासरत होने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आवास पर प्रार्थी ने विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है जिसके बिल सलंग्न है। उक्त परिसर में प्रार्थी अपने पशुधन भी बाघता है एवं चारा भी रखा हुआ है, उक्त पूरे परिसर पर प्रार्थी का आधिपत्य है। उक्त भूमि पर आवंटी ने कभी कब्जा नहीं किया न ही इस भूमि पर

काश्त की है न ही उपयोग उपभोग किया है। आवंटी ने प्रार्थी के कब्जे की भूमि को हडपने के उद्देश्य से स्थानीय राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर जिस पर भूमि पर पहले से प्रार्थी का आवास विद्यमान था एवं किसी अन्य का कब्जा था इसके बावजूद उक्त भूमि का आवंटन काश्त हेतु विपक्षी संख्या एक व दो के पक्ष में कर दिया गया। प्रस्तुत गिरदावरी के आधार पर भी उक्त आवंटन काश्त नहीं किये जाने के कारण निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर बने आवास के संबध में ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक में सम्पर्क किया गया। जिस पर बैंक द्वारा खातेदारी के दस्तावेजो की मांग की गई जिस पर प्रार्थी को पटवारी से खाते की नकल निकलवाने पर यह जानकारी हुई कि उक्त भूमि विपक्षी संख्या एक व दो के पक्ष में आवंटित कर दी गई है जबकि उक्त भूमि प्रार्थी के पक्ष में आवंटित होनी थी। उक्त संबध में संबधित कार्यालय से सारी जानकारी प्राप्त कर इस भूमि के संबध में सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किये जिस पर विपक्षी संख्या एक व दो को किये गये इस आवंटन की जानकारी प्रार्थी को होते ही आवंटन को चुनौती देने का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त आवंटन के समय राजस्व कर्मचारियो ने जबरदस्त फर्जीवाडा किया है। आवंटित भूमि का मौका निरीक्षण किसी स्वतन्त्र राजस्व अधिकारी से करवाया जाये तो वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष आ जायेगी। मूल आराजी नम्बर 721 में से जो भूमि आवंटित की गई उस पर प्रार्थी का आवास होकर इस पर विपक्षी संख्या एक दो का कभी भी आधिपत्य नहीं रहा एवं न ही विपक्षी संख्या एक व दो द्वारा कभी भी उक्त आवंटित भूमि आराजी संख्या 874/721 पर काश्त ही की गई है। जो खसरा गिरदावरी से स्पष्ट हो रही है जो भी साथ सलंग्न है। जो यह स्पष्ट करते है कि उक्त आराजीयात पर प्रार्थी का आधिपत्य है। आक्षेपित आवंटन कपट पूर्वक बिना जॉच किये प्रार्थी की कब्जे शुदा आवास पर जो काश्त के काबिल नहीं होने के बावजूद आंवटित कर दिया गया जिसके अस्तित्व में रहने से प्रार्थी को बेघर होना पडेगा एवं उसके साथ अन्याय होगा। इस कारण उक्त किये गये आक्षेपित आवंटन को निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विपक्षी संख्या एक व दो को आराजी नम्बर 874/721 रकबा 2 बीघा (0.5059 हैक्टेयर) भूमि के किये गये आवंटन को निरस्त किया जावे एवं भूमि के राजस्व अभिलेखो से विपक्षी संख्या एक व दो का नाम विलोपित किया जाकर भूमि राज्य सरकार के नाम दर्ज की जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल जाट ने उपस्थिति दी। नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 17.03.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 03 व 04 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम रूपावली पटवार हल्का मोगाना तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द की सीमा में मूल आराजी संख्या 721 रकबा 18 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है। यह भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त गैर मुमकीन मगरी भूमि है। उक्त आराजीयात की दो बीघा भूमि जो प्रार्थी के आधिपत्य की है उसे उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा द्वारा विपक्षी संख्या एक खेमराज एवं विपक्षी संख्या दो श्रीमती कमला को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई। उक्त भूमि पर प्रार्थी का पुश्तैनी आवास बना हुआ है जिस पर वर्तमान में प्रार्थी निवास कर रहा है। उक्त आवंटन मौके पर प्रार्थी का आधिपत्य होने एवं प्रार्थी का आवास होने के बावजूद विपक्षी संख्या एक व दो के पक्ष में हो गया है। आक्षेपित आवंटन विधि एवं तथ्यो के प्रतिकूल हुआ है। इस भूमि पर मौक की स्थिति ऐसी है कि इस भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की ही नहीं जा सकती है। विपक्षी संख्या एक व दो खेमराज व कमला को आराजी संख्या 721 में से 2.00 बीघा भूमि आवंटित की गई। जिसे राजस्व रिकार्ड के मूल नम्बर से पृथक करते हुऐ आराजी नम्बर 874/721 रकबा 2.00 बीघा के रूप में अंकित किया गया है। मूल आराजी नम्बर 721 के आवंटित किये गये भाग पर प्रार्थी का आवास आवंटन से पूर्व से बना हुआ होकर प्रार्थी उसमें वर्षों से निवासरत होकर वर्तमान में भी अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है। उक्त आवास कई वर्षों पुराना होकर भूमि आवंटन से पूर्व का है एवं उक्त भूमि की किस्म मगरी होकर काश्त के उपयोग लायक भूमि नहीं है। उक्त परिसर प्रार्थी बाबुलाल के आधिपत्य में होकर इसके चारो और चारदीवारी बनी हुई है। मौके की स्थिति के अनुसार उक्त भूमि पर प्रार्थी अर्थात किसी अन्य का आवास होकर कब्जा किसी अन्य का होने से किसी प्रकार से आवंटन योग्य नहीं थी। इस भूमि पर आवंटन के पश्चात् आवंटी का कभी कब्जा नहीं रहा है न ही विपक्षी संख्या एक व दो ने आवंटन शर्तों की पालना में इस भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त किया है। उक्त भूमि पर आवंटन पूर्व से ही प्रार्थी का कब्जा होकर मौके पर वर्तमान में भी वहीं पर निवासरत है। आवंटन आदेश की शर्त संख्या 4 के अनुसार आवंटन की शर्तों के अनुसार भूमि काश्त नहीं करने तथा उसका उपयुक्त उपयोग नहीं करने पर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में पुनः दर्ज हो जायेगी। लेकिन आवंटी ने इस आवंटित भूमि पर कभी कोई काश्त नहीं की क्योंकि उक्त भूमि कभी भी आवंटी विपक्षी संख्या एक व दो के आधिपत्य में रही ही नहीं। उक्त भूमि पर आवंटन से पूर्व से वर्तमान तक लगातार प्रार्थी का आधिपत्य होकर उक्त भूमि पर प्रार्थी का आवास बना होकर प्रार्थी वर्तमान में भी यहाँ निवासरत है। खसरा गिरदावरी से यह तथ्य साबित है कि उक्त आवंटित आराजी संख्या 874/721 पर कभी भी कोई काश्त नहीं की गई है। उक्त भूमि पथरिली मगरी होकर काश्त लायक नहीं है। जिस पर प्रार्थी का आवासीय परिसर होकर प्रार्थी उसमें निवासरत होने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य

है। उक्त आवास पर प्रार्थी ने विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है जिसके बिल सलंग्न है। उक्त परिसर में प्रार्थी अपने पशुधन भी बाघता है एवं चारा भी रखा हुआ है, उक्त पूरे परिसर पर प्रार्थी का आधिपत्य है। इस कारण उक्त किये गये आक्षेपित आवंटन को निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विपक्षी संख्या एक व दो को आराजी नम्बर 874/721 रकबा 2 बीघा (0.5059 हैक्टेयर) भूमि के किये गये आवंटन को निरस्त किया जावे एवं भूमि के राजस्व अभिलेखो से विपक्षी संख्या एक व दो का नाम विलोपित किया जाकर भूमि राज्य सरकार के नाम दर्ज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनो का समर्थन करते हुए आवंटन शर्तो की पालना नही किये जाने से आवंटन निरस्त किये जाने हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

मैंने उभयपक्ष कि अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। आराजी संख्या 721 में से दो बीघा भूमि के अप्रार्थी के पक्ष में किए गए आवंटन के विरुद्ध उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय से मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई तथा उक्त मूल आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर हुआ कि इसी आवंटन के संबंध में एक प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व आवंटन नियम 1970 के उपनियम 14(4) के तहत आवंटी के विरुद्ध वर्ष 2008 में भी प्रस्तुत किया गया था। और इस प्रार्थना पत्र का निर्णय इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 31.03.2009 को कर दिया गया है। पूर्व निर्णय में प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया था तथा विवादित भूमि को बिलानाम दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। साथ ही, भूमि का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लिए जाने के आदेश भी दिए जा चुके थे। चूँकि इस प्रकरण का निर्णय पूर्व में ही किया जा चुका है, अतः इसमें अब पुनः विवेचन किया जाना मैं उचित नहीं समझता हूँ।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता हैं। तथा पूर्व निर्णय दिनांक 31.03.2009 की पालना हेतु तहसीलदार नाथद्वारा को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन प्रभावी नही होने पर निर्णय दिनांक 31.03.2009 की पालना सुनिश्चित करें।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)